

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला अंताजगर

अन्याय \_\_\_\_\_ बनाम \_\_\_\_\_  
 प्रकरण संख्या \_\_\_\_\_ अन्तर्गत धारा \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_ आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज \_\_\_\_\_  
 नम्बर एवं दिना जो इस आदेश पालना में आ \_\_\_\_\_

20/4/23  
 राजपाल  
 (Signature)

आधिवक्तागण उपस्थित। प्राचीन  
 आधिवक्ता के द्वारा प्राचीन पत्र  
 अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस  
 किया। प्राचीन आधिवक्ता को  
 बुना गया व पत्रावली का  
 अवलोकन किया गया। प्राचीन  
 द्वारा प्राचीन पत्र अन्तर्गत  
 धारा 212 RTA नोटिस करने  
 पर इसी स्तर पर खोला  
 किया जाता है। पत्रावली निम्नलिखित  
 तैकर नम्बर से कम लेकर  
 वस्तुतः वस्तुतः है



(Signature)  
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 श्री करणपुर